डिक्री मुकदमा बंटवारा
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 93/2024

वादी

1. गोपाल पुत्र हरकरण
2. भींयाराम पुत्र हरकरण
3. पुरखाराम पुत्र हरकरण
4. मुलाराम पुत्र हरकरण
5. मनीराम पुत्र हरकरण जातियान नायक निवासीगण खिंयाला तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देवकी पुत्री हरकरण जाति नायक निवासी खिंयाला तहसील जायल
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 से 5 की ओर से श्री मुकेश कुमार बिडियासर, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिडियासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व जारी दी जाती हैं कि :–

जाता है।

1. वादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 962 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से रकबा 1.2000 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 भींयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 962 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से रकबा 0.2429 हैक्टेयर गोपालराम के चिपते पूर्वी दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 988 रकबा 2.2015 हैक्टेयर में से रकबा 0.9571 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 962 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से रकबा 1.2000 हैक्टैयर भींयाराम के चिपते ही पूर्वी दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. वादी संख्या 4 मुलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 962 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से रकबा 1.2000 हैक्टेयर पुरखाराम के चिपते ही पूर्वी दिशा में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

5. वादी संख्या 5 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 988 रकबा 2.2015 हैक्टेयर में से रकबा 1.2000 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

6. मौजा खिांयाल के खसरा नम्बर 988 रकबा 2.2015 हैक्टेयर में रकबा 0.0444 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 962 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से रकबा 0.0987 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते कि घोषणा कि जाती है।

7. प्रतिवादी संख्या 1 देवकी द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

9. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

आज की तारीख तीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ......14/08/24...... को जारी किया गया

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह साबूत			मेहनताना वकील		
ना वकील			खर्चा गवाहन		
वाहन			फीस कमीश्नर		
मीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
ज़राय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
क					

- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner